C C

उत्तराखण्ड शासन

वन एवं पर्यावरण, अनुभाग – 4

संख्या /X–4–18/3(02)/2018

देहरादून, 28 सितम्बर 2018

अधिसूचना

प्रतिकरात्मक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 4 की उपधारा (1) में प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 22 को उक्त के साथ पढ़ते हुए, उत्तराखण्ड सरकार, इस अधिनियम के उपयोगार्थ, उत्तराखण्ड के लोक–लेखा के ब्याज उपचित करने वाले खण्ड के अंतर्गत 'मुख्य–शीर्ष 8121–साधारण एवं अन्य आरक्षित निधियां' के नीचे एक विशिष्ट लघु–शीर्ष 129–उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि **(उत्तराखण्ड कम्पनसैटरी एफोरेस्टेशन फण्ड)** के अंतर्गत एक विशेष निधि के रूप में संदर्भित **'उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि (उत्तराखण्ड कम्पनसैटरी एफोरेस्टेशन फण्ड)** का एतद्द्वारा गठन किया जाता है।

(डा0 रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव

प्रतिलिपिः 1010 /X–4–18/3(02)/2018 तददिनांकित

1. वन महानिदेशक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, को पत्र संख्या–11–100/2015–एफ0सी0(**VOL-III**) दिनांक 16.08.2018 के कम में प्रेषित।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार (A&E), उत्तराखण्ड।
5. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
7. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा।
8. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड।
9. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रामनगर रूडकी, हरिद्वार, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित की उक्त अधिसूचना आगामी निर्गत होने वाले गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(सुभाष चन्द्र)
अपर सचिव